आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
ब्लाक–बी, भूतल, इंद्रावती भवन
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर
फोन– 0771–2331317, फैक्स– 0771–2221617
ई–मेल– deshq.cg@gmail.com

क्रमांक 129 /2021 /आ.सां.सं./सम–प्रशि. **रायपुर, दिनांक 31 /5/2021**

प्रति,

समस्त,संयुक्त संचालक,
उप संचालक/सहायक संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़,रायपुर

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कार्यकारी योजना (वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम)**

वर्ष 2021–22 के लिये, **संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम** संलग्न है, तद्नुसार निर्धारित तकनीकी कार्यक्रम में प्रस्तावित कार्यो एवं प्रकाशनों की समयावधि का उल्लेख किया गया है । समंकों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संभाग द्वारा प्रस्तावित प्रकाशनों को नियम समयावधि में प्रकाशित किये जाने एवं निर्धारित तकनीकी कार्यो को नियत समय पर सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें ।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

31/5/2021

अपर संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़,नवा रायपुर,अटल नगर

संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2021–22

संभाग–1. जिला सांख्यिकी तंत्र एवं सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण

1.1 केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करना, प्रगति की समीक्षा कर राज्य शासन एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली को अवगत कराना।

1.2 संचालनालय की सॉख्यिकी गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन तथा केन्द्र शासन में समन्वय स्थापित करना एवं समय–समय पर विभाग की गतिविधियों की वांछित जानकारी राज्य शासन को प्रदाय करना।

1.3 महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, वित्त एवं विभागीय मंत्री के अभिभाषण हेतु लेख/जानकारी तैयार कर राज्य शासन को प्रदाय करना ।

(समयावधि 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं बजट सत्र पूर्व)

1.4 संचालनालय एवं जिला स्तरीय वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2021–22 तैयार कर सर्व–संबंधितों की ओर संप्रेषित करना । (समयावधि जून, 2021)

1.5 विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 तैयार कर राज्य शासन को संप्रेषित करना

(समयावधि जनवरी, 2021)

1.6 जिलों से अर्द्धवार्षिक तकनीकी प्रगति प्रतिवेदन माह सितम्बर, 2021 तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च, 2022 प्राप्त करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।

(समयावधि अक्टूबर, 2021/अप्रैल, 2022)

1.7 जिलों के विविध वार्षिक सांख्यिकी पत्रक (वाणिज्य/विक्रय कर, आबकारी, पंजीयत लिखित, अल्प बचत, दुकान स्थापना, भू–राजस्व, मुद्रांक, मुद्रण, स्वास्थ्य समंक इत्यादि) प्राप्त कर संधारण करना तथा विभागाध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(समयावधि अप्रैल,2022)

1.8 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों (खण्ड स्तरीय अन्वेषकों सहित) के कार्य आवंटन आदेशों का संधारण करना।

(समयावधि अप्रैल, 2021)

1.9 भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी, (वर्ष 2020–21) का एकत्रीकरण एवं परिनिरीक्षा पश्चात् राष्ट्रीय भवन एवं गृह निर्माण संगठन नई दिल्ली की ओर ऑनलाईन संप्रेषित करना।

1.10 राज्य शासन के अन्य विभागों में कार्यरत सॉख्यिकी अमले को सांख्यिकी कार्य संपादन में अपनाई जा रही विभिन्न सॉख्यिकी गतिविधियों यथा– सांख्यिकी संकलन, सारणीयन एवं प्रतिवेदन तैयार करने आदि कार्यो में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

1.11 केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण सत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन कर, प्रशिक्षण में भेजना।

1.12 संचालनालय एवं जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार विविध विभागीय प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

संभाग–2.सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण प्रशिक्षण प्रकाशन एवं पुस्तकालय

2.1 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 के प्रकाशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों/संभागों से पत्र व्यवहार करना तथा प्राप्त जानकारी का परीनिरीक्षण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन कार्य कर विधानसभा के बजट सत्र हेतु समयावधि में प्रकाशन तैयार करना। (समयावधि जनवरी, 2021)

2.2 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 31 मार्च 2019 के ''ऑनलाइन डाटाबेस'' में समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा 31 मार्च 2021 में अध्यतन कार्य संपन्न होने के पश्चात ''प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना, 31 मार्च 2021'' का राज्य स्तरीय प्रकाशन तैयार करना।

(समयावधि दिसंबर, 2021)

2.3 जिला स्तरीय प्रकाशन (जिला सांख्यिकी पुस्तिका एवं जनपदीय सामाजार्थिक समंक विवरणिका) को समयावधि में प्राप्त करना। (समयावधि–फरवरी 2022)

2.4 छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप 2020–21 का प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना।

(समयावधि– अप्रैल, 2022)

2.5 छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2019–20 का प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना।

(समयावधि– अप्रैल, 2022)

2.6 राज्य स्तरीय प्रकाशनों के मुद्रण की व्यवस्था करना।

2.7 प्रकाशनों के संवितरण की व्यवस्था करना।

2.8 मूल्यवान प्रकाशनों के विक्रय की व्यवस्था करना।

2.9 सांख्यिकी प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं के क्रय की व्यवस्था करना।

2.10 उपलब्ध प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं को संचालनालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य आबंटित करना।

2.11 प्रकाशनों को विभागीय वैबसाइट (ई–लाइब्रेरी) पर अपलोड़ करना।

2.12 शोध छात्रों/सांख्यिकी उपयोगकर्ताओं को सांख्यिकी प्रकाशन प्रदान करना।

2.13 छत्तीसगढ़ की शासकीय डायरी 2022 हेतु राज्य की सामान्य प्रमुख जानकारी एवं चुने हुए विषयों की जानकारी तैयार कर शासकीय मुद्रणालय को समयावधि में प्रेषित करना।

(समयावधि–नवम्बर 2022)

प्रकाशन संभाग के निर्धारित प्रकाशन

स.क्र	विषय	वर्ष	समय सीमा
1	छ.ग. सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2020–21	2020–21	अप्रैल, 2022
2	छ.ग. एक दृष्टि में वर्ष 2020–21	2020–21	अप्रैल, 2022

संभाग–3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण

3.1 78 वें दौर का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य मार्च 2021 तक बढ़ाई गयी समयावधि में पूर्ण करवाना।

(समयावधि मार्च–2021)

3.2 78 वें दौर के प्रतिदर्शों की परिनिरीक्षण उपरांत समस्त अनुसूचियों की डाटा एंट्री निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाना।

(समयावधि–मार्च 2021)

3.3 78 वें दौर के सभी चार उपदौरों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम निर्धारित समयावधि में संपन्न करवाना।

(समयावधि जनवरी 2020–मार्च 2021)

3.4 79वें दौर के संचालनालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर कर अपने सहायक सांख्यिकी अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाना ।

(समयावधि जनवरी–2022)

3.5 79 वें दौर के नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिदर्शों का कार्याबंटन प्राप्ति उपरांत क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ करना ।

(समयावधि जनवरी–2022)

3.6 79 वें दौर के नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिदर्शों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाना।

(समयावधि जनवरी–2022)

3.7 संचालनालय को प्रतिमाह मासिक प्रगति प्रतिवेदन संप्रेषित करना।

(प्रतिमाह 2 तारीख)

3.8 78 वें दौर के भरी हुई अनुसूचियों का प्रत्येक माह परीक्षण करना ।

3.9 78 वें दौर के प्रतिदर्शों की परिनिरीक्षण एवं डाटा एंट्री उपरांत भरी हुई अनुसूचियां संचालनालय को प्रेषित करना ।

(समयावधि मार्च 2021)

3.10 प्रतिमाह 50 प्रतिशत प्रतिदर्शों का जिला स्तर पर सहायक सांख्यिकी अधिकारियों एवं जि. यो.सां. अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण ।

संभाग–4. राज्यीय आय, लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण तथा पूंजी निर्माण

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 2019–20(प्रावधिक), 2020–21(त्वरित) एवं 2021–22(अग्रिम) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप कमशः कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का तैयार करना।

(समयावधि जनवरी 2022)

4.2 जिला कार्यालयों के माध्यम से कृषि फसलों के प्रक्षेत्रीय/मंडी की साप्ताहिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.3 जिला कार्यालयों के माध्यम से मत्स्य की मासिक थोक/फुटकर मूल्य की मासिक जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.4 जिला कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2020–21 की वन उपज की वार्षिक जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

(समयावधि सितम्बर 2021)

4.5 जिला कार्यालयों के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद की त्रैमासिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक तीन माह पश्चात् 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.6 छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2020–21 नामक प्रकाशन तैयार करना।

(समयावधि जून 2021)

4.7 जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2014–15 तैयार करना।

(समयावधि अप्रेल 2021)

4.8 राज्य शासन के बजट सत्र के पूर्व वित विभाग से राज्य का प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2022–23 का विवरण पत्रक प्राप्त कर "छत्तीसगढ़ आय–व्ययक संक्षेप में" 2022–2023 नामक प्रकाशन तैयार कर वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रदाय कराना।

(समयावधि वित्त विभाग छ.ग. शासन के निर्देशानुसार)

4.9 बजट सत्र के पश्चात राज्य शासन का वार्षिक बजट वर्ष 2021–2022 (सम्पूर्ण अनुदानों की मांगों) की पुस्तिकाएं वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण कर वर्ष 2019–20 (लेखा), 2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2021–22 (बजट अनुमान) की आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

(समयावधि नवम्बर 2021)

4.10 राज्य की वार्षिक बजट वर्ष 2020–21 का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2018–19 (लेखा), 2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2020–21 (बजट अनुमान) नामक प्रकाशन तैयार करना।

(समयावधि अक्टूबर 2021)

4.11 स्थानीय नगरीय निकायों (समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) के वार्षिक बजट वर्ष 2021–2022 की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण कर वर्ष (2018–19 लेखा, लंबित) 2019–20(लेखा), 2020–21(पुनरीक्षित) एवं 2021–22(बजट अनुमान) की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त कर राज्य स्तरीय कम्पाइलेशन पश्चात आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

(समयावधि नवम्बर 2021)

4.12 स्थानीय ग्रामीण निकायों (समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) की वर्ष (वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 लंबित) 2020–21 का आडिट के दौरान तैयार की गई आय–व्ययक पत्रक की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त कर राज्य स्तरीय कम्पाइलेशन पश्चात आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्जीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

(समयावधि नवम्बर 2021)

4.13 समस्त स्थानीय नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) से नियोजन एवं परिलाभ की जानकारी (वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 लंबित) एवं वर्ष 2019–20 की समस्त जिला योजना कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त करना तथा निकायों अनुसार कम्पाईलेशन करना।

(समयावधि अक्टूबर 2021)

4.14 राज्य के स्वायतशासी संस्थाओं से वार्षिक बजट वर्ष 2021–2022 संबंधित जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करना। प्राप्त जानकारी का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना। साथ ही वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 लंबित जानकारी का संकलन करना।

(समयावधि नवम्बर 2021)

संभाग–5. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक एवं वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

5.1 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) आधार वर्ष 2011–12 अनुसार तैयार करने हेतु चयनित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी जिला योजना एवं साख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त करना।

(समयावधि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक)

5.2 आयटम बास्केट अनुसार जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों/ईकाईयों से प्राप्त मासिक उत्पादन की पूर्ण जानकारी के आधार पर सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि मार्च 2022)

5.3 विद्युत क्षेत्र की मासिक उत्पादन जानकारी प्राप्त करना तथा उत्पादन सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि जून 2021 एवं मार्च 2022)

5.4 खनिज क्षेत्र की मासिक उत्पादन जानकारी प्राप्त करना तथा उत्पादन सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि जून 2021 एवं मार्च 2022)

5.3 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) वर्ष 2018–19 का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त उद्योगों की सूची अनुसार जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कर राज्य स्तरीय लेखा प्रतिवेदन तैयार करना।

(समयावधि जुलाई 2021)

5.4 **निर्धारित प्रकाशन**

स.क.	विषय	वर्ष	समय सीमा
1	छत्तीसगढ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान	2011–12 से 2020–21 (अग्रिम)	जून 2021
2	आय–व्यय संक्षेप में	2022–2023	वित विभाग के निर्देशानुसार
3	राज्य शासन के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण	2020–21	अक्टूबर 2021

संभाग–6. जीवनांक

6.1 राज्य स्तरीय मासिक जीवनांक प्रतिवेदन का निगरानी करना।

(समयावधि–प्रतिमाह 10 तारीख तक)

6.2 वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2020 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि–जुलाई 2021)

6.3 मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (MCCD) रिपोर्ट वर्श 2020 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेशित करना।

(समयावधि–जुलाई 2021)

6.4 प्रत्येक जिले के न्यूनतम 10 ग्रामीण एवं 10 नगरीय/संस्थागत इकाईयों का निरीक्षण संचालनालय के अधिकारियों द्वारा किया जाना एवं सुझाव /टीप के पश्चात् निरीक्षण टीप प्रस्तुत करना।

(समयावधि–दिसम्बर 2021)

6.5 जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षणों के प्रतिवेदन का परीक्षण जीवनांक के अधिकारियों द्वारा किया जाना।

(समयावधि प्रतिमाह)

6.6 जीवनांक प्रपत्रों का मुद्रण एवं जिलों को आवश्यकतानुसार आपूर्ति करना।

6.7 राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करना।

6.8 वर्ष 2021 तक में शत –प्रतिशत पंजीयन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयास करना।

6.9 जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि–जुलाई 2021)

6.10 जीवनांक पंजीयन इकाईयों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।

6.11 वर्ष 2008 से पूर्व विधिक भाग के स्केनिंग/फोटो फिल्मिंग करवाने की कार्यवाही करना।

6.12 भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार जनवरी 2019 से परिशिष्ट 5 में समस्त जिलों के पंजीकृत जन्म/ मृत्यु/ शिशु मृत्यु/ मृत्यु –जन्म/ मातृत्व मृत्यु दर की जानकारी एकजाई कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि–प्रत्येक माह के 15 तारीख तक)

6.13 जीवनांक कार्य में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को नियम/ अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं चिकित्सकों एवं कोडकर्ताओं को ICD-10 तथा मृत्यु के कारणों से संबंधित प्रपत्रों की प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

(समयावधि–आवश्यकतानुसार)

संभाग – 7 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना

7.1 विभागाध्यक्षों से 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना परीनिरीक्षण एवं उसका संधारण पश्चात भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन,मंत्रालय को भेजना।

7.2 मान. उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाना।

संभाग – 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

(अ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

8.1 मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति का वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना।

8.2 डिविजनल कमिश्नर को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन करने हेतु शक्तियां प्रदान करना।

8.3 जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा।

8.4 जिला प्राधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।

8.5 जिला प्राधिकारियों के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करना।

8.6 उपसचिव/कार्यपालक इंजीनियर पद के समकक्ष के अधिकारियों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यो के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करना।

8.7 महालेखाकार के परामर्श, प्रत्येक जिला प्राधिकारी के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा नियुक्त करना।

8.8 राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन संबंधी डाटा अपनी वेबसाईट पर डालना।

8.9 राज्यसभा के सांसद सदस्यों के अव्ययित राशि का योजना के मार्गदर्शिका पैरा 4.8 में निर्धारित किये गये अनुसार वितरण करना।

8.10 नोडल जिलों से अनुबंध–6, 1993–94 से 2021–2022 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा सदस्यवार मासिक जानकारी प्राप्त कर कम्पाईलेशन एवं परीनिरीक्षण कर प्रतिमाह कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

8.11 संचालनालय द्वारा निर्धारित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र–अ, ब एवं स वर्ष 1993–94 से 2021–22 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा सदस्यवार जानकारी समस्त जिलों से प्रतिमाह प्राप्त करना एवं कम्पाईलेशन, परीनिरीक्षण कर कम्प्यूटर में संधारित करना तथा छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को प्रतिमाह भेजना।

8.12 लोकसभा/राज्यसभा के तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजना।

(ब) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

8.13 जिले के नोडल अधिकारी से योजना के प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विधानसभा क्षेत्रवार कार्यो की प्रगति प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर संधारित करना।

8.14 विधानसभावार जानकारी का परीक्षण प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पूर्ण कर वर्षवार, जिलेवार एवं मांग संख्यावार जानकारी संधारित करना तथा समय–समय पर समीक्षा बैठकों हेतु जानकारी तैयार करना।

8.15 विधानसभा के मानसून, शीतकालीन एवं बजट सत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तैयार कर शासन को प्रेषित करना।

8.16 बजट कटौत्री प्रस्ताव तैयार करना।

8.17 लेखाधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन को आयोजन एवं आयोजनेत्तर के अंतर्गत प्राप्त बजट, जिलों को आबंटित करना। राशि के समर्पण एवं अतिरिक्त राशि हेतु शासन से पत्र व्यवहार करना। योजनांतर्गत राशि के अंकेक्षण के संबंध में कार्यवाही करना।

8.18 योजना के मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यो के क्रियान्वयन में कठिनाई होने पर जिले द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के उत्तर समय–सीमा में भेजना।

8.19 जिले द्वारा स्वीकृत कार्यो का मॉनिटरिंग करना।

8.20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विधायकों द्वारा कराये जा सकने वाले कार्यो पर शासन की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण तैयार कर प्रेषित करना।

संभाग – 9 प्रशासन संभाग एवं सूचना के अधिकार

9.1 संचालनालय के अमले की स्थापना संबंधित समस्त कार्यो का निर्वहन करना।

9.2 संचालनालय स्तर से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करना।

9.3 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग द्वारा आवेदक को समय सीमा में जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराना ।